राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	राजाराम बनाम बीना देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1938/2025	
13/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 21/04/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
21/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07/10/2025 पारित करते हुये तहसीलदार जालसू को ग्राम रायथल पटवार हल्का रायथल तहसील जयसिंहपुरा जिला जयपुर में भूमि खाता संख्या 291 जिसके आराजी खसरा नम्बर 100 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 101 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.88 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 103 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 105 रकबा 3.64 हैक्टेयर कुल किता 6 का कुल रकबा 5.69 हैक्टेयर का राज. टीनेंसी (बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यु) रूल्स के नियम 18 से 21 की पालना कर जमाबन्दी में समान हिस्सेनुसार उभयपक्ष को नोटिस देकर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07/10/2025 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के विभाजन के नियम 18 से 21 की अनुपालना करते हुये अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। सहखातेदारान/पक्षकारान के मध्य विभाजन एक अनिवार्य एवं आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे अपीलार्थी द्वारा उठाई गयी तकनीकी आपत्ति के आधार पर लम्बित रखा जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	राजाराम बनाम बीना देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1938/2025	अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07/10/2025 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	